<u>समयबद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

संख्या-38/89 आ.न.यो./9-8-2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं0	अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	जिलाधिकारी, बलरामपुर
2	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
3	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
4	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवाबाजार	जिलाधिकारी, महराजगंज
5	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला	जिलाधिकारी, महौबा
6	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन	जिलाधिकारी, बांदा
7	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रिसिया	जिलाधिकारी, बहराइच
8	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	जिलाधिकारी, देवरिया
9	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सिधौली	जिलाधिकारी, सीतापुर
10	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	जिलाधिकारी, कन्नौज
11	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सहजनवा	जिलाधिकारी गोरखपुर
12	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत कुन्दरकी	जिलाधिकारी मुरादाबाद
13	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत कांठ	जिलाधिकारी मुरादाबाद
14	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत जैथरा	जिलाधिकारी एटा

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये है। अत: निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशाषी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रू0 लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	35.00
2	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	35.00
3	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	35.00
4	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवाबाजार	25.00
5	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला	20.00
6	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन	20.00
7	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रिसिया	20.00
8	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	40.00
9	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सिधौली	20.00
10	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	40.00
11	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सहजनवा	20.00
12	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत कुन्दरकी	80.00
13	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत कांठ	60.00
14	अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत जैथरा	20.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

(1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किा जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

(2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।

(3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग'-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशाषी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध् कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

(5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" **प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।**"

<u>कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।</u>

http://shasandesh.up.nic.in

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in